बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

आज़ादी का अमृत महोत्सव

निगमित संप्रेषण व निवेशक संबंध
प्रधान कार्यालय: लोकमंगल, शिवाजीनगर, पुणे - 5
टेलि -020 : 25614495, 25614366, 25514501 से 12 विस्तार.

प्रेस विज्ञप्ति

श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, वित्तीय सेवाएं द्वारा "वित्तीय समावेशन से सशक्तिकरण" पर वित्तीय समावेशन अभियान की अध्यक्षता

पुणे, 10 अक्तूबर, 2022: देश में पायलट वित्तीय समावेशन अभियान हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर "वित्तीय समावेशन से सशक्तिकरण" विषय पर एक बैठक 10 अक्तूबर, 2022 को पुणे में आयोजित की गई। श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, वित्तीय सेवाएं, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैठक की अध्यक्षता की। पुणे जिले के कलेक्टर डॉ. राजेश देशमुख ने दिनांक 15.10.2022 से 26.11.2022 तक आयोजित किए जानेवाले वित्तीय समावेशन अभियान का रोडमैप प्रस्तुत किया।

श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र; श्री ए. बी. विजयकुमार, कार्यपालक निदेशक और श्री आशीष पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र; श्रीमती रेखा यादव, संयुक्त सचिव, एमओपीआर; श्री जितेंद्र असती, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री आयुष प्रसाद, सीईओ, जिला परिषद, पुणे; श्रीमती शालिनी कडू, पीडी डीआरडीए; श्री हेमंत वासेकर, सीईओ एमएसआरएलएम; श्री जी. एस. रावत, सीजीएम नाबार्ड; श्रीमती कल्पना मोरे, महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक; बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महाप्रबंधक, श्री विजय कांबले, श्री अरुण कबाड़े और श्री राजेश कुमार सिंह के साथ विभिन्न प्रमुख वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ कार्यपालकों ने बैठक में सहभाग लिया। ग्राम पंचायत स्तर पर पायलट वित्तीय समावेशन अभियान देश के चुनिंदा जिलों यथा कटक (ओडिशा), औरंगाबाद (महाराष्ट्र), पुणे (महाराष्ट्र), काकीनाडा (आंध्र प्रदेश), कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश), दतिया (मध्य प्रदेश) और बारपेटा (असम) में आयोजित किया जाएगा।

वित्तीय समावेशन अभियान में प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क के लिए बैंक खाता और प्रत्येक पात्र व्यक्ति के लिए बीमा/ पेंशन योजनाओं की परिकल्पना की गई है। यह पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन गतिविधियां करने वाले किसानों पर ध्यान देने के साथ मुद्रा ऋण और केसीसी के कवरेज की सुविधा भी प्रदान करेगा। स्व-सहायता समूह के सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करते हुए उन पर फोकस किया जाएगा। अभियान के दौरान छोटे खातों और सामान्य खातों को पूर्ण केवाईसी अनुपालक बनाने पर विशेष ध्यान देने के साथ ही मौजूदा खातों में मोबाइल /आधार सीडिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के नामांकन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। यह अभियान किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ) को ऋण सुविधा भी प्रदान करेगा और पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाओं जैसे कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लक्षित किया जाएगा।

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीएलसीसी) के समग्र मार्गदर्शन और निर्देशों के अंतर्गत अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) द्वारा अभियानों का समन्वय किया जाएगा। पूर्व-अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक शनिवार को कैम्प का आयोजन निर्धारित किया गया है।

निगमित संप्रेषण व निवेशक संबंध
प्रधान कार्यालय: लोकमंगल, शिवाजीनगर, पुणे – 5
टेलि –020 : 25614495, 25614366, 25514501 से 12 विस्तार.

फोटो कैप्शन: (बाएं) श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, वित्तीय सेवाएं, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। (दाएं से) डॉ राजेश देशमुख, पुणे जिले के कलेक्टर, श्री ए एस राजीव, प्रबंध निदेशक और सीईओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, श्री एबी विजयकुमार, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, श्री आशीष पांडे, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अन्य प्रतिभागियों के साथ ।